उपायुक्त का न्यायालय, कोडरमा

मिस्लेनियस अपील नं0–29 / 2015

आशा कुमारी बनाम झारखण्ड राज्य एवं 04 अन्य।

आदेश

आवेदिका आशा कुमारी पति–संतोष प्रसाद यादव, ग्राम–कलीडीह, पोस्ट–बासोडीह, थाना–सतगांवा, जिला–कोडरमा द्वारा ललिता कुमारी पति–प्रमोद कुमार की सेविका, आंगनबाड़ी केन्द्र, कलीडीह (टेहरो पंचायत, सतगांवा) के पद पर चयन के विरूद्ध मिस्लेनियस अपील दायर किया गया है। चयन समिति के द्वारा दिनांक 12.08.14 को ललिता कुमारी पति–प्रमोद कुमार की सेविका, आंगनबाड़ी केन्द्र, कलीडीह (टेहरो पंचायत, सतगांवा) के पद पर चयन किया गया। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सतगावॉ के पत्रांक 87 दिनांक 15.05.2015 द्वारा उन्हे नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया है। अपीलार्थी द्वारा ललिता कुमारी, सेविका के नियुक्ति पत्र को Set-aside करने एवं अपीलार्थी को सेविका पद पर नियुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, कोडरमा के पत्रांक 561 / स0 क0 दिनांक 19.09.16 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि ललिता कुमारी पति–प्रमोद कुमार की सेविका, आंगनबाड़ी केन्द्र, कलीडीह (टेहरो पंचायत, सतगांवा) के पद पर दिनांक 12.08.2014 को संपन्न आमसभा के द्वारा अधिक शैक्षणिक योग्यता, बी0 ए0 के आधार पर चयन हेतु अनुशंसा किया गया और कार्यालय पत्रांक 261 दिनांक 25.04.2015 के द्वारा नियुक्ति पत्र निर्गत करने हेतु बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सतगावॉ को पत्र प्रेषित किया गया है। उन्होने यह भी प्रतिवेदित किया है कि आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण हेतु मथुरा यादव, ग्राम–कलीडीह निवासी अपना रैयती जमीन दिया है। आशा कुमारी पति–संतोष यादव द्वारा भूमि दाता परिवार की बहू होने के कारण सेविका के पद पर नियुक्ति का दावा किया जा रहा है; परन्तु समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग, झारखण्ड, रांची (मार्ग–दर्शिका) का पत्रांक 585 दिनांक 02.02.16 में यह प्रावधान नहीं दिया गया है कि जमीनदाता को ही (नौकरी) सेविका पद के लिए चयन किया जाए। आशा कुमारी का यह भी कहना है कि चयनित सेविका ललिता कुमारी पति–प्रमोद कुमार, पोषक क्षेत्र से बाहर की है। इस संबंध में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी पदाधिकारी सतगावॉ द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वर्त्तमान में चयनित सेविका पोषक क्षेत्र के अर्न्तगत ही आती है। उक्त प्रतिवेदन पर स्थानीय मुखिया का अनुशंसा भी प्राप्त है। उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि ललिता कुमार, पति–प्रमोद कुमार का चयन विभागीय निर्देश के आलोक में किया गया है जो सही है।

विपक्षी संख्या 5 ललिता देवी द्वारा अपना पक्ष लिखित रूप से दिनांक 12–5–2016 रखा गया है। उनका कहना है कि उनका चयन नियमानुसार उच्च शैक्षणिक योग्यता के आधार पर हुआ है। अपीलार्थी का यह दावा कि ललिता देवी पोषक क्षेत्र की निवासी नहीं है, गलत है। वे पोषक क्षेत्र की निवासी हैं। साक्ष्य के रूप में उनके द्वारा के आवासीय प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र और मतदात फोटो पहचान पत्र की छायाप्रति संलग्न की गयी है जिसमें उनका पता, ग्राम–कलीडीह, पोस्ट–बासोडीह, थाना–सतगावाँ दर्ज है।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता का कहना है कि अपीलार्थी का दावा गलत है। अभिलेख में संलग्न ललिता कुमारी के आवासीय प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र और मतदात फोटो पहचान पत्र में उनका पता, ग्राम–कलीडीह, पोस्ट–बासोडीह, थाना–सतगावाँ दर्ज है। अतः चयनित ललिता देवी पोषक क्षेत्र की निवासी है। समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग, झारखण्ड, रांची की मार्ग –दर्शिका, पत्रांक 585 दिनांक 02.02.16 के आलोक में ललिता कुमारी पति–प्रमोद कुमार की सेविका, आंगनबाड़ी केन्द्र, कलीडीह (टेहरो पंचायत, सतगांवा) के पद पर चयन एवं नियुक्ति हुई है। अतः अपीलार्थी का अपील स्वीकार योग्य नहीं है और इसे खारीज किया जा सकता है।

सभी पक्षों को सुना तथा अभिलेख में संलग्न सभी कागजातों एवं प्रतिवेदनो का अवलोकन किया गया। स्पष्ट होता है कि समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग, झारखण्ड, रांची की मार्ग –दर्शिका, पत्रांक 585 दिनांक 02.02.16 के आलोक में ललिता कुमारी पति–प्रमोद कुमार की सेविका, आंगनबाड़ी केन्द्र, कलीडीह (टेहरो पंचायत, सतगांवा) के पद पर चयन एवं नियुक्ति की गई है। अतः सरकारी अधिवक्ता, कोडरमा के मंतव्य के आलोक में अपीलार्थी के अपील आवेदन को खारीज किया जाता है और वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त, कोडरमा।

उपायुक्त का न्यायालय
सत्यमेव जयते
कोडरमा

उपायुक्त

कोडरमा।